राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(Rajasthan University and College Teachers' Association-R)

रुक्टा (रा)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा (टोंक)
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 33623-627

दिनांक: 27.8.13

माननीय मुख्यमंत्रीजी
राजस्थान सरकार जयपुर

विषय : राजकीय महाविद्यालयों द्वारा NAAC आवेदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कालेज शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र क्रमांक एफ (20) (नैक) आयो/निकाशि/13/263 दिनांक 10-4-2013, समसंख्यक पत्र क्रमांक 266 दिनांक 10-4-2013 एवं पत्र क्रमांक 356 दिनांक 22-8-2013 द्वारा NAAC में आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की गुणवत्ता निश्चित करने एवं तदनुसार संस्थानों को यू.जी.सी. की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षिक संस्थानों का अधिदेशात्मक निर्धारण एवं प्रत्यायन) विनियम 2012 द्वारा NAAC से प्रत्यायन अनिवार्य किया गया है। केन्द्र की यह योजना निश्चय ही उच्च शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के व्यापक हित में है, किन्तु राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों के NAAC से प्रत्यायन हेतु आवेदन के निर्देशों की अनुपालना मात्र से ही क्या राज्य की उच्च शिक्षा का हित संभव है? अपने महाविद्यालय को नैक द्वारा सबसे अच्छा ग्रेड मिले, यह प्रत्येक शिक्षक एवं प्राचार्य का लक्ष्य होता है एवं इसके लिए वे अपने हरसंभव प्रयास भी करते हैं, किन्तु राजकीय महाविद्यालयों में राज्य सरकार की ओर से भी बराबर प्रयासों की आवश्यकता रहती है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार मात्र निर्देशों की अनुपालना का आदेश देकर एकपक्षीय रूप में सभी जिम्मेदारी शिक्षक पर डाल रही है, यह उचित नहीं है। इस संबंध में आपका ध्यान निम्न तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ :-

1. जून 2013 में NAAC द्वारा Institutional Accreditation Manual for Self Study Report Affiliated/Constituent Colleges में SSR के बिन्दु संख्या 1(20) व 1(21) no. of teaching and non-teaching positions in the institution में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोफेसर/सहप्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर की संख्या एवं qualification बतानी है। SSR में व्याख्याता पदनाम से कार्यरत शिक्षकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. द्वारा व्याख्याता पदनाम समाप्त कर

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(Rajasthan University and College Teachers' Association-R)

रुक्टा (रा)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org Email: info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा (टोंक)
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/

दिनांक: .....

देने के बाद भी सरकार पदनाम परिवर्तन का निर्णय नहीं ले रही है। क्या सरकार की इस बेरुखी का असर राज्य के महाविद्यालयों की ग्रेड़ पर नहीं पड़ेगा?

2. इसी SSR के बिन्दु संख्या 1(28) में teacher-student ratio for each course offered की Detail भरनी है। यू.जी.सी. के Minimum Standards of Instruction for the Grant of the First Degree Through Formal Education Regulation 2003 के बिन्दू संख्या 7 में लेक्चर क्लास हेतु अधिकतम 60 एवं प्रयोगशाला हेतु 15 विद्यार्थी के मानदण्ड बताए गए हैं। किन्तु राज्य सरकार ने गुणवत्ता की परवाह किये बिना हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिना वर्क लोड़ बढ़ाए विज्ञान में 90 एवं कला, वाणिज्य में 100 विद्यार्थियों का एक सेक्शन बनाने के आदेश जारी कर दिये। क्या सरकार के इस कदम का असर राज्य के महाविद्यालयों की ग्रेड पर नहीं पड़ेगा?

3. Manual के criteria-wise inputs में शिक्षकों के बारे जानकारी मांगी गई है, जिन्होंने वर्कशॉप/सेमिनार/ कॉन्फ्रेन्स में participate/paper present किया है या resource person के रूप में आमंत्रित किये गए हैं। लम्बे समय से संगठन द्वारा मांग किये जाने पर अंतत: राज्य की परिसीमा में conference आदि में भाग लेने के लिए अधिकार तो प्राचार्य को दे दिये गए, किन्तु 31 जनवरी के पश्चात् एवं राज्य से बाहर जाने के लिए प्रशासनिक बाधाएं शोध को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। क्या इसका असर शिक्षकों के अकादमिक उन्नयन और अंतत: संस्थान की ग्रेड पर नहीं पड़ता है?

4. यू.जी.सी., आई. सी. ए. आर., सी. एस. आई. आर. जैसी संस्थाओं से शोध प्रोजेक्ट लेने वाले शिक्षकों को NAAC Manual के अनुसार reduced teaching load, time-off, adequate infrastructure एवं human resource उपलब्ध कराने की बात कही गई है? राज्य सरकार इस संबंध में क्या विचार रखती है?

5. बिना नवीन नियुक्तियाँ किये नए कॉलेज तो खोल दिए गए हैं जबकि existing colleges में शिक्षकों के कई पद रिक्त है। तकनीकी एवं अन्य अशैक्षणिक स्टॉफ की बरसों से नियुक्तियाँ नहीं हुई है। कई जगह प्रयोगशालाएँ बिना प्रयोगशाला सहायक के चल रही है। Games/ Sports activities को सुचारु रूप से चलाने के लिए शारीरिक शिक्षक नहीं है। कई जगह पुस्तकालय बिना पुस्तकालयाध्यक्षों के चल रहे हैं। क्या इन सब का असर संस्थान की ग्रेड पर नहीं पड़ने वाला है?

6. किसी भी शोध निदेशक का तबादला स्नातकोत्तर से स्नातक महाविद्यालय में हो जाने पर वह नए

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(Rajasthan University and College Teachers' Association-R)

रुक्टा (रा)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org Email: info@ructarashtriya.org

R U C T A (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा (टोंक)
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: .....

शोधार्थी का पंजीयन नहीं करवा सकता। स्नातक महाविद्यालय में शिक्षक द्वारा कितना ही अच्छा शोध किया जा रहा हो, वह पीएच.डी. नहीं करवा सकता। इस प्रकार बरती जा रही भेदभाव पूर्ण नीति के चलते भी शोध कार्य प्रभावित होता है, जिसका अंतत असर संस्थान की ग्रेड पर पड़ता है।

7. आधारभूत संरचना यथा लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, गेम्स, शोध सुविधाएं, फर्नीचर, ऑडिटोरियम, कक्षा कक्ष के लिए सरकार द्वारा दिया गया बजट अपर्याप्त है ही। नवाचार एवं शोध हेतु शिक्षक को किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं, सुविधा नहीं, वर्षों तक एक ही पदनाम पर कार्य करने हेतु मजबूर करना, इन सबके बावजूद अपने संस्थान को उच्चतम ग्रेड दिलाने हेतु शिक्षक अपने प्रयास करता है। राज्य की उच्च शिक्षा एवं उच्च शिक्षा संस्थान देश में सबसे आगे आए इसके लिए यू.जी.सी. के मानदण्डानुसार नियुक्तियाँ, पदनाम परिवर्तन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी क्या सरकार नहीं की है?

NAAC द्वारा निरीक्षण प्रारंभ हो, इससे पूर्व आप उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उचित महौल बनाएंगे, इस आशा के साथ यह पत्र आपके विचारार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सधन्यवाद

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय उच्च शिक्षामंत्रीजी राजस्थान सरकार, जयपुर
2. माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, जयपुर
4. निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]